ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

योजना ने दिलाया काम
और दिखाई
आर्थिक विकास की राह
(पृष्ठ – 02)

सतत् जीविकोपार्जन योजना का
मिला सहारा, संकट से उबारा
(पृष्ठ – 03)

वैशाली जिला में
सतत् जीविकोपार्जन योजना
के बढ़ते कदम
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – जून 2022 ।। अंक – 11

सहयोग और साझेदारी से सफलता की ओर बढ़े कदम

बिहार में पूर्ण मद्यनिषेध के क्रियान्वयन के उपरांत देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य समुदायों के अत्यंत निर्धन परिवारों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरूआत की गयी। योजना के तहत लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन गतिविधि से जोड़ने हेतु चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके तहत सबसे पहले ग्राम संगठनों के माध्यम से अत्यंत निर्धन परिवारों की पहचान की जाती है। इसके बाद उन्हें आवासीय प्रशिक्षण देकर उनका क्षमतावर्द्धन किया जाता है। दीदी को आजीविका की गतिविधि से जोड़ने के पूर्व एमआरपी द्वारा उनका सूक्ष्म नियोजन किया जाता है। इसमें दीदी की इच्छा, क्षमता, स्थानीय परिस्थिति एवं आवश्यकताओं का आंकलन किया जाता है, जिससे यह पता चल सके कि उनके लिए किस प्रकार की आजीविका का चयन किया जाना उपयुक्त होगा। सूक्ष्म नियोजन के आधार पर ही योजना के तहत जीविकोपार्जन निवेश निधि उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद सम्बंधित ग्राम संगठन द्वारा उत्पादक परिसंपत्तियों की खरीद कर इसे योजना की लाभार्थी दीदी को हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रकार योजना से लाभान्वित अत्यंत निर्धन परिवार को नई एवं स्थायी आजीविका उपलब्ध करा कर या आय आधारित अन्य गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

शुरुआती दौर में योजना से कम से कम एक लाख अति निर्धन परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन गतिविधि से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य की तुलना में अब तक एक लाख 16 हजार 209 परिवारों को विभिन्न प्रकार की जीविकोपार्जन गतिविधियों से जोड़ा जा चुका है। इनमें से 72,852 परिवारों द्वारा छोटी–छोटी दुकानें या सूक्ष्म उद्यम का संचालन किया जा रहा है। इसी तरह 42,474 परिवार बकरी पालन या गाय पालन गतिविधि से जुड़कर अपनी जीविका चला रहे हैं। वहीं 883 परिवार कृषि संबंधी गतिविधियों में संलग्न हैं। राज्य के कई जिलों में क्लस्टर आधारित जीविकोपार्जन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत एक क्लस्टर में एक ही तरह की आजीविका गतिविधि को प्रोत्साहित कर इसमें परिवारों को शामिल किया जा रहा है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों को आजीविका की किसी नई गतिविधि से जोड़कर उसका सफलतापूर्वक संचालन बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। लेकिन जीविका द्वारा ऐसे परिवारों की पहचान के उपरान्त उनका क्षमतावर्द्धन किया जाता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके। साथ ही परियोजना की ओर से प्रशिक्षित एमआरपी के द्वारा उन्हें प्रत्येक स्तर पर मदद पहुंचाई जाती है, जिससे आजीविका के संचालन में समुचित मदद मिल सके। दुकान या उद्यम में रोजाना होने वाले लेनदेन को लेखांकन पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। इससे नियमित आधार पर उद्यमों की निगरानी करने में मदद मिलती है। जीविका द्वारा सूक्ष्म स्तरीय प्रयासों, निरंतर सहयोग एवं नियमित निगरानी के परिणामस्वरूप आज अधिकतम परिवार सफलतापूर्वक अपनी आजीविका चला रहे हैं। सतत् जीविकोपर्जान योजना अन्तर्गत ग्रेजुएशन एप्रोच के तहत अधिकांश लाभार्थी परिवारों की औसतन मासिक आय 6 हजार रुपये से ज्यादा हो गई है। यही कारण है कि अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवन–यापन करने वाले परिवारों के जीवन में इस योजना की वजह से अब नया सवेरा आया है।

योजना ने दिलाया काम काम से मिला सम्मान

ये हैं गुड्डी देवी, जिला सीवान, प्रखंड गुठनी, जो पल्लवी जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य है। गुड्डी दीदी के पति की दिमागी हालात ठीक नहीं होने के कारण उन्हें काफी प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। परिणामस्वरूप उन्हें अपने घर से बेदख़ल कर दिया गया। इसके बाद वह अपने 3 बच्चों के साथ बलुवा थाना स्थित एक विद्यालय में रहने लगी। वह विद्यालय में रसोइया का काम करती थी और इसके बदले उन्हें प्रतिमाह 1200 रुपये दिए जाते थे। लेकिन इतने कम पैसे में परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद वह अपने घर लौट आई। काफी संघर्ष के बाद उन्हें घर का एक छोटा सा हिस्सा दिया गया, जो कि काफी खराब स्थिति में था। यहां परिवार के द्वारा अभी भी प्रताड़ित किया जाता था। गरीबी और अपमान सहते हुए गुड्डी देवी किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। इसी दौरान वर्ष 2020 में गुड्डी देवी को सतत जीविकोपार्जन योजना के लिए चिन्हित किया गया। इसके बाद प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें योजना के जीविकोपार्जन निवेश निधि से 20,000 रुपये उपलब्ध कराए गए। इस पैसे से ग्राम संगठन की मदद से उन्होंने एक दुकान शुरू की। दुकान शुरू होने के बाद गुड्डी को एक सहारा मिला। अब वह काफी मेहनत से दुकान चलाती है। दुकान से अच्छी बिक्री हो रही है और वह हर महीने 4,000 रुपये से ज्यादा की कमाई कर लेती है। दुकान से होने वाली कमाई से वह परिवार का गुजारा करने के अलावा बचत भी करती है। उन्होंने अपने बैंक खाते में 10,000 रुपए की बचत राशि जमा की है। साथ ही अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा रही है, ताकि भविष्य में वे काबिल बन सकें। गुड्डी देवी बताती हैं कि योजना का सहारा मिलने से उसने गरीबी और अपमान भरे जीवन को पीछे छोड़ दिया है और आज वह सम्मानपूर्वक जीवन जी रही है।

योजना ने दिलाया काम और दिखाई आर्थिक विकास की राह

किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड की रहने वाली मरजीना खातून दीदी के लिए सतत् जीविकोपार्जन योजना नई रौशनी लेकर आई है। इस योजना की मदद से मरजीना दीदी ने अपनी नई आजीविका शुरू की है। वह फेरी लगाकर खाने–पीने की चीजें और मनिहारी का सामान बेचती है। इस काम से हर महीने वह लगभग 15 हजार रुपए से अधिक की आय अर्जित कर लेती है। मरजीना दीदी ने अपने इस व्यवसाय की कमाई से एक गाय खरीदी है। दूध की बिक्री से भी दीदी को आमदनी हो जाती है। साथ ही उन्होंने बकरा–बकरी की खरीद–बिक्री का काम भी शुरू कर दिया है। इससे भी उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है। उन्होंने 20 कट्ठा खेत लीज पर लेकर खेती–बाड़ी का काम शुरू किया है। दीदी बताती है कि सतत जीविकोजपाजन योजना की मदद से शुरू किया गया फेरी लगाने का काम उनके लिए आर्थिक तरक्की का जरिया बना है।

दीदी की आर्थिक स्थिति कुछ वर्ष पहले तक अच्छी नहीं थी। बहुत पहले ही उनके पति पैरालिसिस (पक्षाघात) के शिकार हो गए थे। वह कोई काम नहीं कर पाते थे। एक तरफ पति की बीमारी तो दूसरी तरफ आर्थिक तंगी ने उन्हें परेशानी के दलदल में झोंक दिया था। किसी तरह मजदूरी करके वह घर चलाने को मजबूर थी। इसी बीच वह वर्ष 2017 में जीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। वहीं मार्च 2020 में दीदी का चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लिए किया गया था। मरजीना दीदी ने बताया कि उन्हें एसजेवाई के तहत उसे कुल 37 हजार रुपए मिले हैं। शुरुआत में फेरी लगाकर सामान बेचना कठिन काम था। लेकिन जीविका के माध्यम से तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण मिलने से आत्मविश्वास बढ़ा। वह कहती है कि जो लोग पहले मेरे काम करने पर ताना दिया करते थे, वे अब मेरी प्रगति की प्रशंसा करते हैं। अब वह आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन–यापन कर रही है।

सतत् जीविकोपार्जन से जीवन को मिली नई राह

मैं अमरेन्द्र कुमार मोतिहारी जिले के चकिया प्रखण्ड के रूदल पकड़ी गांव का स्थाई निवासी हूं। इन्टर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं गांव में ही रह कर खेती–बाड़ी का काम करता था। मेरे मन में हमेशा यह इच्छा होती थी कि समाज के लिए कुछ करूं। मगर सही दिशा नहीं मिल पा रही थी। इसी दरम्यान वर्ष 2013 में चकिया प्रखंड में जीविका परियोजना की शुरुआत हो रही थी। मुझे जीविका परियोजना के बारे में जानकारी मिली। पता चला कि जीविका ग्राम संगठन स्तर पर वीआरपी पद के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश है। मैंने भी आवेदन जमा कर दिया। इसके बाद चयन प्रक्रियाओं में सम्मिलित हुआ। कृषि कार्य में मेरी अभिरुचि और खेती–बाड़ी से जुड़े होने की वजह से वीआरपी पद के लिए मेरा चयन हो गया। वी.आर.पी. पद पर कार्य करते हुए मैं जीविका समूह से जुड़े परिवारों को उन्नत विधि से खेती के लिए प्रेरित करता और उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करता था। इसी बीच वर्ष 2018 में चकिया प्रखंड में सत्त जीविकोपार्जन योजना शुरू की जा रही थी। श्रृंगार सीएलएफ अन्तर्गत इस योजना हेतु एम. आर.पी. पद के लिए बहाली निकाली गई। मैंने भी अपना आवेदन जमा किया। मेरे पूर्व के कार्यानुभव एवं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की वजह से मेरा चयन एस.जे.वाई. एम.आर.पी. पद पर हो गया। एम.आर.पी. बनने के बाद मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। सर्वप्रथम सत्त जीविकोपार्जन योजना के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद योजना अंतर्गत चयनित दीदीयों के साथ काम करना शुरू किया। इस समय मैं 42 लाभार्थी दीदियों के साथ काम कर रहा हूं। इनमें से 22 दीदियाँ स्वरोजगार से जुड़ चुकी हैं। मैं नियमित रूप से इनके घर का भ्रमण कर उन्हें अपने उद्यम के संचालन में पूरा सहयोग प्रदान करता हूं। उनकी समस्याओं का समाधान कर सही राह दिखाता हूं। दीदियों के व्यवहार परिवर्तन के साथ–साथ उन्हें नियमित बचत करना भी सिखाया है। दीदियों के जीवन में आई खुशहाली देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना का मिला सहारा, संकट से उबारा

सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड स्थित चकभारो पंचायत की रहने वाली अनीता दीदी के पति क्षय रोग के मरीज थे। इस वजह से वह कोई काम करने में असमर्थ थे। पति के बीमार हो जाने से अनीता देवी का परिवार संकट से गुजरने लगा। क्योंकि पति की मजदूरी पर ही पूरा परिवार आश्रित था। बीमारी के इलाज में घर की सारी जमा–पूंजी खत्म हो गई। इसके बाद उसने महाजन से सूद पर पैसा लेकर पति का इलाज कराया। लम्बे इलाज के बावजूद अनीता देवी अपने पति को नहीं बचा पाई। पति के देहांत के बाद अनीता देवी के लिए परिवार का भरण–पोषण करना मुश्किल हो गया। इनके परिवार में एक बूढ़ी सास और चार बच्चों के अलावा एक देवर भी है, जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। पति की मौत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी अनीता देवी के कंधे पर आ गई। वह दूसरे के खेत में मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करती थी।

इसी बीच, वर्ष 2019 में सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में भी की गई। इसी दौरान नवप्रकाश जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा अनीता दीदी का चयन योजना के लिए किया गया। दीदी ने श्रृगांर दुकान खोलने की इच्छा जताई। इसके बाद जीविका द्वारा उन्हें तीन दिवस आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद दीदी के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई और उन्हें लगने लगा कि वह खुद के बल पर कुछ कर सकती है। प्रशिक्षण के उपरांत अनीता देवी को ग्राम संगठन के माध्यम से जीविकोपार्जन निवेश निधि के रूप में 20,000 रुपये उपलब्ध कराए गए। साथ ही जीविकोपार्जन अंतराल राशि के रूप में 7,000 रुपये और विशेष निवेश निधि के तहत 10,000 रुपये उपलब्ध कराए गए। इस राशि से अनीता देवी ने ग्राम संगठन की मदद से श्रंगार की दुकान शुरू किया। श्रंगार दुकान से दीदी को प्रतिदिन लगभग 200 से 300 रुपये की आय हो रही है। इस राशि से वह अपने परिवार का भरण–पोषण करती है।

वैशाली जिला में सतत् जीविकोपार्जन योजना के बढ़ते कदम

सतत् जीविकोपार्जन योजना– इसके अंतर्गत ऐसे परिवार जो पूर्व में ताड़ी या शराब व्यवसाय से जुड़े हुए थे और वर्ष 2016 में राज्य में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा के उपरांत जिन परिवारों का जीविकोपार्जन तथा आय का श्रोत बंद हो गया था, उन्हें स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत ऐसे निर्धन परिवारों का भी वित्तीय पोषण किया जाता है जो विभिन्न कारणों से समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाये है। योजना के अंतर्गत लक्षित परिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य गरीब परिवार के सदस्य होते हैं। योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के द्वारा जीविका परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रारंभ में वैशाली जिले के दो प्रखंडों हाजीपुर एवं जन्दाहा में वर्ष 2018 में सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत कार्य प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात ग्राम संगठनों द्वारा योजनान्तर्गत अत्यंत निर्धन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य समुदायों के निर्धन परिवारों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। ग्राम संगठनों के द्वारा सामुदायिक साधन सेवियों के सहयोग से सभी गांवों में लक्षित परिवारों का चयन हेतु सर्वेक्षण किया गया एवं सर्वेक्षण के उपरांत अत्यंत निर्धन परिवारों की पहचान निर्धारित मापदंडों के अनुसार ग्राम संगठन की दीदियों द्वारा की गई।

हाजीपुर एवं जन्दाहा प्रखंड में सतत जीविकोपार्जन योजना की सफलता को देखते हुए चरणबद्व तरीके से जिले के अन्य प्रखंडों में इसका विस्तार किया गया। वर्ष 2019 में भगवानपुर, राजापाकर, देसरी, महनार, वैशाली एवं वर्ष 2021 में शेष 9 प्रखंडों बिदुपुर, सहदेई, महुआ, लालगंज, पटेढ़ी बेलसर, गोरौल, राघोपुर, चेहराकला एवं पातेपुर में यह योजना प्रारंभ किया गया। इस प्रकार अब वैशाली जिले के सभी 16 प्रखंडों में सतत् जीविकोपार्जन योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव का कारण बन रहा है।

इस योजना से वैशाली जिले में अब तक कुल 4594 लाभार्थियों को जोड़ा जा चुका है। 2684 से अधिक लक्षित परिवारों के बीच जीविकोपार्जन अंतराल राशि का वितरण किया गया है। साथ ही 2684 से अधिक परिवारों को उत्पादन परिसम्पत्ति भी उपलब्ध करवाई गयी है। देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों की संख्या 154 एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों की संख्या 1240 है। सतत् जीविकोपार्जन योजना से लाभ लेकर सूक्ष्म उद्यम प्रारंभ करने वाले परिवारों की संख्या 1564 एवं पशुधन प्राप्त परिवारों की संख्या 1086 है।

लाभार्थी स्वरोजगार की विभिन्न गतिविधियों जैसे किराना दुकान, श्रृंगार दुकान, चाय एवं नाश्ते की दुकान, मुर्गी पालन व बकरी पालन जैसे व्यवसाय से जुड़कर अपने जीवन को बेहतर बना रही हैं। सभी चयनित परिवारों का सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव करवाया जा रहा है। स्थायी आजीविका गतिविधि से जुड़ने के बाद इन परिवारों का न केवल आर्थिक सुधार हुआ है बल्कि वे सामाज की मुख्य धारा में भी शामिल हो गए हैं। योजना के कारण इन परिवारों के जीवन में खुशहाली एवं बदलाव आया है। सतत् जीविकोपार्जन योजना की सफलता नए बिहार के निर्माण में सहायक साबित हुई है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अजीत रंजन, राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी –परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, समस्तीपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, पूर्णिया
- श्री बिप्लव सरकार – प्रबंधक संचार, कटिहार
- श्री विकास कुमार राव – प्रबंधक संचार, सुपौल
- श्री हिमांशु पाहवा – प्रबंधक गैर कृषि